



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ. संख्या- पीबी-30(21)/2016

दिनांक:- 07.02.2019

कार्यालय आदेश संख्या- 15/2019

नौमनि कार्यालय आदेश संख्या 95/2017 दिनांक 29.09.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से, नौवहन महानिदेशालय के कार्यकारी अधिकारी पद के लिए, सीसीएस आरपी नियम, 1997 के परिशोधित वेतनमान 7500-250-12000 रु के पुनः नियतन की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप सीसीएस आरपी नियम, 2008 के अंतर्गत पीबी-2 में 9300-34800 रु एवं 4800 रु ग्रेड वेतन में एवं सीसीएस आरपी नियम, 2016 के अंतर्गत प्रयोजनीय स्तर 8 पर श्री के. एस. वरदराजन, पूर्व कार्यकारी अधिकारी का वेतन दिनांक 01.02.1996 से निम्नानुसार पुनः नियत किया जाता है:

1	कर्मचारी का नाम	श्री के. एस. वरदराजन
2	2375-75-3200-इबी-100-3500 के वेतनमान में कार्यकारी अधिकारी पद पर 01.02.1995 का वेतन	2675
3	सीसीएस आरपी नियम, 1997 के परिशोधित 8750, का 7500-250-12000 रु वेतनमान में दिनांक 01.02.1996 का वेतन	8750
4	1997 से 2005 तक प्रत्येक वर्ष 250रु 9 वार्षिक वृद्धि = 2250; दिनांक 01.02.2006 को पूर्व परिशोधित स्केल 10600 था एवं 7500-250-12000 के वेतनमान का आहरित वेतन - 11000	11000
5	सीसीएस आरपी नियम, 2008 के अंतर्गत पीबी-2 के ग्रेड पे 4800 का 9300-34800 रु वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को परिशोधित नियत वेतन, पूर्व परिशोधित 20460 + जीपी 4800 रु वेतनमान में	20460 + 4800 (परिशोधित जीपी) = कुल परिलब्धियाँ 25260 रु
6	25260 रु पर 3% वेतन वृद्धि 760 के अनुमोदन से दिनांक 01.07.2006 को वेतन (31.03.2007 को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति)	21220 + 4800 (परिशोधित जीपी) = कुल परिलब्धियाँ 26020 रु

(सुरेन्द्र कुमार)

सहायक नौवहन महानिदेशक

सेवा में,

1. श्री के. एस. वरदराजन, पूर्व कार्यकारी अधिकारी
2. लेखा एवं वित्त अनुभाग
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, (नौवहन), मुंबई
4. श्री के. एस. वरदराजन, पूर्व कार्यकारी अधिकारी, नौमनि की सेवा पुस्तिका के लिए प्रतिलिपि
5. कार्यालय आदेश फाइल